

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 1310 /213/आउशि/बजट/2018  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/6/2018

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
(नीचे दर्शाये अनुसार)  
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 3446 खेलकूद प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आबंटन।

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 3446 खेलकूद प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-


S. No.	Name of College	Place	District	Letter No and Date	Allotment Amount Rs.	Segment Code
1	Govt Adarsh Science College	Gwalior	Gwalior	1973/13.6.18	400000	0101
2	Govt S.S.A.College	Sihora	Jabalpur	312/8.6.18	400000	0101
3	Govt College	Bhikangaon	Khargone	575/25.5.18	223250	0102
4	Govt College	Kasrawad	Khargone	2521/28.5.18	95475	0102
5	Govt P G College	Khargone	Khargone	1341/13.6.18	182664	0102
6	Govt T. N.S. College	Gotegaon	Narsinghpur	18/21.4.18	300000	0103
7	Govt College	Shamshabad	Vidisha	1579/18.5.18	250000	0101
8	Govt Girls College	Vidisha	Vidisha	1577/18.5.18	250000	0101
	Total				2101389	

(2) उपरोक्त राशि का आबंटन आपके द्वारा मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर शेष अन्य महाविद्यालयों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक रूप से किया गया है।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण महाविद्यालय के नाम के समक्ष अंकित आब्जेक्ट कोड में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-


बजट शीर्ष	योजना
44-2202-03-102-0101-3446-42-007	उच्च शिक्षा सामान्य
44-2202-03-103-0102-3446-51-000	आदिवासी उपयोजना
44-2202-03-103-0103-3446-42-007	अनुसूचित जाति उपयोजना

- (3) व्यय करने के पूर्व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं अद्यतन भण्डार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
  - (4) सामग्री कय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
  - (5) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।
  - (6) कय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।
  - (9) जिन महाविद्यालयों को डी.डी.ओ.कोड नहीं है उनकी राशि संबंधित महावि/अग्रणी महाविद्यालय के डी.डी.ओ.कोड में अपलोड की गई है।
  - (10) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
  - (11) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
  - (12) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
- “आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

  
 अपर संचालक (वित्त)  
 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
 भोपाल, दिनांक- 22/6/2018

पृ0क0- 1311 / 213/बजट/2018  
 प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी /राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना मंत्रालय भोपाल।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
7. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

  
 अपर संचालक (वित्त)  
 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

